

राजस्थान-सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी**(पीबसीन अधिकारी कैम्प कॉर्ट) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र **राजस्थान**प्रशासन गांवों के संग  
अभियान-2021

-: आदेश :-

प्र0सं0 :- 7/6/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का .....**राजस्थान**....., भू अ0नि0 वृत्त .....**राजस्थान**..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा **राजस्थान** .....**राजस्थान**..... तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् **2020** .....**राजस्थान**..... के खाता संख्या .....**राजस्थान**..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<b>राजस्थान</b>	<b>246</b>	<b>नात्र पुत्र नाथु</b>	<b>नानलाल पुत्र नाथु</b>



क्रमांक: सरिश्ता/5-11(7/0)2021

दिनांक :- 24/11/2021.....

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री .....**राजस्थान**.....**राजस्थान**..... को सूचनार्थ।

**सहायक कलक्टर**  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

**सहायक कलक्टर**  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी